राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>1. अपील संख्या — 1450/2011/उदयपुर.</u> 2. अपील संख्या — 2142/2012/उदयपुर.

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, यशद भवन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर.

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री बी. एल. शर्मा, अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

· निर्णय दिनांक : 17/02/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 119/वेट/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.3.2011 एवं अपील संख्या 145/वेट/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.7.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त/ वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2007—08 व 2008—09 के पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 25.3.2010 व 25.2.2011 को वेट अधिनियम की धारा 23, 55, 58, 61 व 73 के तहत पारित किये गये। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान माईनिंग प्रक्रिया के तहत उपयोग में लिये गये माल एवं पूंजीगत माल के क्रय पर चुकाये गये आई.टी.सी. का क्लेम चाहा गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों से अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश

लगातार.....2

WV

क्रमशः दिनांक 21.3.2011 व 27.7.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी इकाई केवल ओर (Ore) उत्खनन का कार्य ही नहीं करती है, बिल्क खिनज आधारित उद्योग है, जिसमें उत्खिनत ओर से जस्ता, सीसा, चांदी, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का निर्माण किया जाता है। कम्पनी द्वारा विनिर्मित माल पर वैट चुकाया जाता है तथा विनिर्माण के मद में उत्खनन पर हुए खर्चे भी शामिल रहते हैं। विनिर्मित माल के विनिर्माण की प्रक्रिया द्वारा ओर बोडी के खनन, उसके विशुद्धिकरण, कन्संट्रेटस बनाने, उसे विभिन्न स्तरों पर पिघलाने के बाद जस्ते, सीसे आदि का अन्तिम उत्पाद (Final Product) अस्तित्व में आता है।

विद्वान अभिभाषक ने वेट अधिनियम की धारा 2(7), 2(22) व 2(29) क्रमशः पूंजीगत माल, विनिर्माण व कच्चे माल की परिभाषायें उद्धरित की हैं :--

- **2(7)** "capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;
- 2(22) "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;
- 2(29) "raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;

कथन किया है कि उत्खनन व निर्माण प्रक्रिया दोनों अभिन्न रूप से अन्तः सम्बन्धित होने के कारण पूंजीगत माल, जो उत्खनन में प्रयुक्त हुआ है, भी विनिर्माण का भाग होने के कारण इस पूंजीगत माल की खरीद पर चुकाया गया आगत कर भी निर्गत कर में से समायोजन योग्य है तथा उसका आई.टी. सी. विधिक रूप से देय है। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. रिवर्स कर विधिक भूल की है।



अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (1965) 16 एस.टी.सी. 259 में इण्डियन कॉपर कॉपोरेशन लिमिटेड बनाम किमश्नर, कॉमर्शियल टैक्सेस, बिहार व अन्य तथा जे.के. कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं0 बनाम बिक्री कर अधिकारी कानपुर के अंश उद्धरित किये हैं :—

(1965) 16 S.T.C. 256 -

"The process of mining ore and manufacturing with the aid of ore copper goods is an integrated process."

J.K. Cotton Spinning & Weaving Mills Co.-

"Where any particular process is so integrally connected with ultimate production of goods that for that process, manufacture or processing of goods would be commercially inexpedient goods required in that process would be in our judgment fall within the expression in the manufacture of goods."

इन आधारों पर दोनों प्रकरणों में कच्चे माल व पूंजीगत माल जो उत्खनन प्रक्रिया में प्रयुक्त हुए, पर आई.टी.सी. स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की विनिर्माण की परिभाषा के अनुसार उसी पूंजीगत व कच्चे माल पर प्रदत्त आई.टी.सी. अनुज्ञेय है, जो विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के प्रकरण में उत्खनन प्रक्रिया माल के खान से बाहर लाकर शुद्धि कर स्टेकिंग स्तर तक ही रहती है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 4 एस.सी.एस.टी. पेज 3916 निर्णय 499 मैसर्स चौगले एण्ड कम्पनी प्रा० लि० बनाम भारत संघ व अन्य के अंश को उद्धरित किया है, जिसमें निर्णीत किया है कि :—

"Now there can be no doubt, and indeed this could not be seriously disputed that the process of mining comes to an end when ore is extracted from the mines, washed, screened and dressed in the dressing plant and stacked at the mining site and the goods purchased by the assessee for use in the subsequent operations could not therefore be regarded as goods purchased for use "in mining"."

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय 16 एस.टी.सी. 259 व जे.के. स्पिनिंग व वीविंग मिल्स प्रकरणों के निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, बल्कि उक्त निर्णय चौगले एण्ड कम्पनी प्राठ लिठ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है कि

2

माईनिंग प्रक्रिया कहां समाप्त होती है तथा कहां विनिर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। विधिक प्रावधानों के अनुसार उत्खनन द्वारा किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उक्त आधार पर अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं विधिक प्रावधानों, उद्धरित निर्णयों व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अविधयों में उत्खनन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत माल का राज्य के बाहर विक्रय के लिये उस अनुपात में रिवर्स टैक्स आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने राज्य के बाहर विक्रय के क्रम में रिवर्स टैक्स के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर बाद जांच रिवर्स कर आरोपित किये जाने के निर्देश दिये हैं, जबिक उत्खनन में प्रयुक्त पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने को उचित उहराया है। प्रतिप्रेषण बिन्दु पर इस पीठ द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाद जांच की जाने वाली कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक उत्खनन में प्रयुक्त पूंजीगत माल पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय होने का प्रश्न है, पूंजीगत माल की परिभाषा अनुसार जो प्लान्ट व मशीनरी मय उसके भाग व उपस्कर विनिर्माण में उपयोग में आती है, उसी पर वेट अधिनियम की धारा 18(1)(जी) अनुसार आई.टी.सी. देय है। विनिर्माण की परिभाषा अनुसार भी विनिर्माण में वे सभी प्रक्रियायें शामिल हैं, जिनसे वाणिज्यिक रूप से भिन्न व विशिष्ट जिन्स अस्तित्व में आती है, लेकिन इनमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रियायें शामिल नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत प्रकरण में उत्खनन व विनिर्माण की प्रक्रियायें विलग योग्य नहीं होने तथा एक दूसरे में अन्तर्संबंधित होने के कारण खनन में प्रयुक्त पूंजीगत माल पर भी आई.टी.सी. चाहा गया है तथा अपना तर्क माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 16 एस.टी.सी. 259 पर अवलंबित किया है। इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(बी) के अन्तर्गत रियायती दर से क्रय हेतु अनुज्ञेय खरीदों का बिन्दु विवादित था कि उन खरीदों को पंजीयन प्रमाण—पत्र में दर्ज किया जा सकता है या नहीं। याची व्यवसायी मैसर्स इण्डियन कॉपर लि० भी कॉपर के उत्खनन व निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत थी तथा कम्पनी द्वारा लोकोमोटिव व वाहनों तथा उनके पुर्जों व टायंरों को उक्त प्रावधान 8(3)(बी) के तहत प्रविष्ठिकृत कराना चाहते थे तथा उनका तर्क था कि लोकोमोटिव व वाहन दोनों ही प्रक्रियाओं यथा उत्खनन व निर्माण तथा निर्मित माल को स्टोरेज तक ले जाने में प्रयुक्त हो रहे थे। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत खनन तथा निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त दोनों प्रकार के लिये कच्चे माल का प्लॉट मशीनरी व प्रोसेसिंग गुड्स पर रियायती दर अनुज्ञेय थी।

प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के इस अंश से स्थिति स्पष्ट हो जाती है :--

"......It is in the circumstances difficult to appreciate the ground on which the High Court sought to exclude from the "Locomotives and motor-vehicles" those vehicles which were used by the Corporation after the mining operations were concluded and before the manufacturing process commenced, and those which were used in carrying finished products. There was not even an averment that vehicles which were used for the excluded purposes were different from the vehicles used in carrying and removing raw materials during the process of manufacture and vehicles used underground and on the surface in mining operations. This by itself would be sufficient to reject the reservation made by the High Court. We are also of the opinion that in a case where a dealer is engaged both in mining operations and in the manufacturing process-the two processes being interdependent it would be impossible to exclude vehicles which are used for removing from the place where the mining operations are concluded to the factory where the manufacturing process starts. It appears that the process of mining ore and manufacture with the aid of ore copper goods is an integrated process and there would be no ground for exclusion from the vehicles those which are used for removing goods to the factory after the mining operations are concluded. Nor is there any ground for excluding locomotives and motor-vehicles used in carrying finished products from the factory. The expression "goods intended for use in the manufacturing or processing of goods for sale" may ordinarily include such vehicles as are intended to be used for removal of processed goods from the factory to the place of storage. If this be the correct view, the restrictions imposed by the High Court in respect of the vehicles and also the spare parts, tyres and tubes would not be justifiable. We are, therefore, of the opinion that the Corporation was entitled to specification as set out in the petition and explained in annexure B-2 to the petition in respect of items (i), (ii) and (vi)."

3/3

लगातार......6

इस निर्णय में वाहनों का प्रयोग उत्खनन व विनिर्माण दोनों ही प्रक्रियाओं से सम्बन्धित होने की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्बन्धित प्रावधान के तहत इनका इन्द्राज पंजीयन प्रमाण—पत्र में अनुज्ञेय माना है। जबिक प्रस्तुत प्रकरणों में विनिर्माण प्रक्रिया के लिये आई.टी.सी. अनुज्ञेय है, उत्खनन के लिये नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही मैसर्स चौगले एण्ड कंठ प्राठ लिठ के प्रकरण में विनिर्माण से पूर्व खनन की प्रक्रिया के विषय में उक्त उद्धरित अंश में स्पष्ट किया है। प्रस्तुत प्रकरण में चौगले एण्ड कम्पनी के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उचित रूप से लागू होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स जे. के. स्पिनिंग व वीविंग मिल्स के प्रकरण के निर्णय का अंश भी उद्धिरत किया है, जिसमें माल के विनिर्माण में उस प्रक्रिया को भी अनिवार्य माना है, जिसके बिना माल का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्थिति नहीं है। अपीलार्थी द्वारा खनन में प्रयुक्त मशीनरी व उसके पुर्जे आदि विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बिल्क केवल उत्खनन में ही प्रयुक्त होते हैं तथा उत्खनन एक निर्माण प्रक्रिया नहीं है, इसिलए वेट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन में प्रयुक्त पूंजीगत माल पर आगत कर का मुजरा नहीं दिया जा सकता।

उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्कों में बल नहीं होने से अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल) सदस्य

पी. आर. लोहिया)

7 02 मदस्य